04.09.2024 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। प्रतिवादी की ओर से नवीन वकालतनमा हाजरी दाखिल की गई।

वाद पुकार पर वादी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए, तथा वादी की ओर से दिनांक–08.08.2024 का आदेश–22 नियम–4 के प्रतिस्थापन आवेदन को प्रचालित करते हुए इनके विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0–07 गणेशी मंडल की मृत्यु दिनांक–13.07.2024 को हो गई है। अतः इनके वारीशान इनकी पत्नी मो0 उगो देवी एवं चार पुत्र क्रमशः मुकेश मंडल, रूपेश मंडल, तुकेश मंडल एवं विवेक मंडल को पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। अतः वादी की ओर से दिनांक– 08.08.2024 को दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। वही प्रतिवादी की ओर से वादी के उक्त आवेदन पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं करते है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–07 गणेशी मंडल की मृत्यु दिनांक–13.07.2024 को हो गई है। अतः इनके वारीशान को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी के दिनांक–08.08.2024 के आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी विहित समय के अन्दर मृतक प्रतिवादी के वारीशानों के नाम को वाद–पत्र में अंकित करें तथा इनकी उपस्थिति हेतु सम्मन का आपेक्ष दाखिल करे।

वाद दिनांक 01.10.24 ~~08.08.2023~~ वास्ते सम्मन का आपेक्ष हेतु।

मुंसिफ

बनमनखी।